न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 250/2014

वादीया :-

1. माडीदेवी पत्नी धर्माराम
2. किरण पुत्री धर्माराम
   जातियान-जाट,निवासी-केकिन्दड़ा
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. धर्माराम पुत्र सुखाराम
   जाति-जाट, निवासी-केकीन्दडा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी जैतारण,
   तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.22/12/2014

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः 13/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दडा, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नंबर 140/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 140/4 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नंबर 144 रकबा 4-18 बीघा, खसरा नंबर 145 रकबा 3-03 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 0-09 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 0-12 बीघा,खसरा नंबर 155 रकबा 2-06 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 2-07 बीघा, खसरा नंबर 178 रकबा 5-17 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 5-16 बीघा, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 272 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 34-09 बीघा, खसरा नंबर 324 रकबा 58-15 बीघा, खसरा नंबर 608 रकबा 10-16 बीघा, खसरा नंबर 773/1 रकबा 10-10 बीघा, खसरा नंबर 779 रकबा 15-01 बीघा, खसरा नंबर 783/1 रकबा 6-08 बीघा, खसरा नंबर 824 रकबा 13-10 बीघा, कुल खसरा 20 कुल रकबा 180-07 बीघा एवं खसरा नंबर 254 रकबा 12-18 बीघा, खसरा नंबर 260 रकबा 4-16 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 17-14 बीघा की आई हुई हैं, जिस पर वादीगण के ससूर व दादा सुखाराम वक्त सैटलमेन्ट से शांतिपूर्वक रुप से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त चला रहा हैं। नकल जमाबंदी वाद-पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी आराजी है तथा मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक का बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक का नाम दर्ज है। क्योकि वादीगण के ससुर व दादा सुखाराम का उक्त वर्णित आराजी में नाम दर्ज था। जिनके फौत होने के बाद हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बतौर वारिसान के प्रतिवादीगण संख्या एक का नाम दर्ज हुआ था। परन्तु वादीगण के ससुर व दादा के फौत होने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के ततहत स्वतः ही वादीगण का उपरोक्त वर्णित आराजी में हक व अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। वादीगण का अपनी इस पैतृक व पुश्तैनी आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या एक मात्र राजस्व रेकर्ड में अकेलें का नाम दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या एक उक्त आराजी को किसी अजनबी केता को रहन, बेचान, बक्शीश व हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं एवं वादीगण को मौके से बेदखल करने का उतारु हैं। यदि प्रतिवादी अपने इन नापाक ईरादो में कामयाब हो जाता हैं, तो वादीगण को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है तथा वादीगण अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिए महरुम हो जायेगी। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। दिनांक 15/12/2014 को प्रतिवादीगण संख्या एक जो झगडालू प्रवृति का व्यक्ति हैं एवं आये दिन उक्त भूमि को लेकर वादीगण से लडाई करता रहता हैं एवं उक्त विवादित आराजी को रहन, बेचान, बक्शीश अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि प्रतिवादीगण संख्या एक अपने इस गैरकानूनी ईरादों मे कामयाब हो जाता है तो वादीगण के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी चूंकि वादीगण के पास उक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त हेतु आराजी नहीं है। उक्त वर्णित एक मात्र आराजी जिस पर वादीगण अपना पेट पालती हैं एवं अपना भरण पोषण करती हैं। यदि उक्त वर्णित आराजी को भी प्रतिवादीगण संख्या एक उक्त भूमि को बेचान कर देता है तो वादीगण भूमिहीन हो जायेगी एवं उसके पास अन्य कोई आराजी नहीं बचेगी। तथा वादीगण प्रतिवादीगण संख्या एक के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगी। जिससे मौके पर लडाई झगडे होगे। विवाद बढेगा, अनेको प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इन सब विवादों से बचने के लिये वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक पिछले काफी समय से लडाई झगडा व गाली गलौच करता चला आ रहा हैं। परन्तु वादीगण ने अपने रिश्ते की मर्यादा को देखते हुए चुपचाप सब कुछ सहन करते चले आ रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या एक सारी मर्यादा को ताक में रखकर वादीगण संख्या एक को घर से बाहर निकाल दिया व घर के ताले लगा दिए हैं। तब से वादीगण संख्या एक अपनी पुत्री वादीगण संख्या दो किरण के साथ रह रही हैं। प्रतिवादीगण संख्या एक उक्त वर्णित आराजी को अब किसी भी समय पैतृक पुश्तैनी संपति को मात्र नाम दर्ज होने के आधार पर अजनबी केता को बेचान करने को आमादा हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या एक ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजी में पांव भी नही रखे अन्यथा उसे जान से खत्म कर दूंगा एवं उपरोक्त वर्णित आराजी को अन्य हस्तान्तरण बेचान कर दूंगा। एवं वादीगण को एक इंच भी जमीन नहीं दूंगा। यदि प्रतिवादीगण संख्या एक अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाता हैं तो वादीगण भूमिहीन हो जायेगें एवं अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगे। भूमि बेचान होने के बाद में वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। तब वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार, जैतारण एवं उप

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पंजीयन अधिकारी, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उनको इस वादपत्र में पक्षकार बनाया हैं। जिनके विरुद्ध वाद-पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वादीगण का वाद-पत्र अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र अनुमति लेकर के श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अनुमति हेतु धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से साथ प्रस्तुत हैं। बिनायवाद दिनांक 15/12/2014 को प्रतिवादीगण संख्या एक द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल करने व आराजी का रहन, बेचान एवं अन्य हस्तान्तरण करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। वकील प्रतिवादीगण ने जबाबदावा पेश करने का समय चाहा हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद भी वकील प्रतिवादीगण ने जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं। वादीगण धर्माराम की पत्नि / पुत्री हैं। चूँकि प्रतिवादी धर्माराम खातेदार काश्तकार दर्ज हैं एवं वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से प्रतिवादी कभी भी उक्त आराजी को बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण कर सकता हैं। वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि को बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दडा, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नंबर 140/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 140/4 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नंबर 144 रकबा 4-18 बीघा, खसरा नंबर 145 रकबा 3-03 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 0-09 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 0-12 बीघा,खसरा नंबर 155 रकबा 2-06 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 2-07 बीघा, खसरा नंबर 178 रकबा 5-17 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 5-16 बीघा, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 272 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 34-09 बीघा, खसरा नंबर 324 रकबा 58-15 बीघा, खसरा नंबर 608 रकबा 10-16 बीघा, खसरा नंबर 773/1 रकबा 10-10 बीघा, खसरा नंबर 779 रकबा 15-01 बीघा, खसरा नंबर 783/1 रकबा 6-08 बीघा, खसरा नंबर 824 रकबा 13-10 बीघा, कुल खसरा 20 कुल रकबा 180-07 बीघा एवं खसरा नंबर 254 रकबा 12-18 बीघा, खसरा नंबर 260 रकबा 4-16 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 17-14 बीघा में वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि को वेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। वाद-पत्र में वर्णित भूमि को यथास्थिति बनाई रखी जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :–

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. माडीदेवी पत्नी धर्माराम		1. धर्माराम पुत्र सुखाराम
2. किरण पुत्री धर्माराम		जाति–जाट, निवासी–केकीन्दडा
जातियान–जाट,निवासी–केकिन्दड़ा		तहसील–जैतारण जिला–पाली
तहसील–जैतारण (जिला–पाली)		2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
		अधिकारी जैतारण,
		तहसील–जैतारण (जिला–पाली)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:250/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–केकिन्दडा, पटवार हल्का–केकिन्दडा, तहसील–जैतारण में वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 140 रकबा 2–14 बीघा, खसरा नंबर 140/1 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नंबर 140/4 रकबा 1–13 बीघा, खसरा नंबर 144 रकबा 4–18 बीघा, खसरा नंबर 145 रकबा 3–03 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 0–12 बीघा,खसरा नंबर 155 रकबा 2–06 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 2–07 बीघा, खसरा नंबर 178 रकबा 5–17 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 5–16 बीघा, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0–01 बीघा, खसरा नंबर 272 रकबा 1–01 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 34–09 बीघा, खसरा नंबर 324 रकबा 58–15 बीघा, खसरा नंबर 608 रकबा 10–16 बीघा, खसरा नंबर 773/1 रकबा 10–10 बीघा, खसरा नंबर 779 रकबा 15–01 बीघा, खसरा नंबर 783/1 रकबा 6–08 बीघा, खसरा नंबर 824 रकबा 13–10 बीघा, कुल खसरा 20 कुल रकबा 180–07 बीघा एवं खसरा नंबर 254 रकबा 12–18 बीघा, खसरा नंबर 260 रकबा 4–16 बीघा कुल खसरा 02 कुल रकबा 17–14 बीघा में वादीगण के नोशनल शेयर के हिस्से की भूमि को बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने से प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। वाद–पत्र में वर्णित भूमि को यथास्थिति बनाई रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	04 – 00	मिजानः–	01 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner